रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 577] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 1992/भाद्र 9, 1914
No. 577] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 1992/BHADRA 9, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1992

ब्याज-कर

का.आ. 652(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ब्याज-कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्याज-कर नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ब्याज-कर (संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ब्याज-कर नियम, 1974 में,—

(i) नियम 4 का लोप किया जाएगा;

(ii) नियम 5 के उपनियम (2) में "अनुसूचित बैंक के प्रधान अधिकारी द्वारा या जहां अनिवासी अनुसूचित बैंक की दशा में" शब्दों के स्थान पर "प्रत्यय संस्था के प्रधान अधिकारी द्वारा या जहां अनिवासी प्रत्यय संस्था की दशा में" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) परिशिष्ट में —

(क) विद्यमान प्ररूप संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप संख्या 1

ब्याज-कर

संख्या 1 ब्याज-कर अधिनियम 1974 नियम 3	प्रभार्य ब्याज की विवरणी	आय-कर कार्यालय में प्रयोग के लिए
नाम स्पष्ट अक्षरों में		निर्धारण वर्ष

फोन / टेलीफोन ——को समाप्त हुआ पूर्व वर्ष

क्या यह पुनरीक्षित विवरणी है, यदि हां तो पूर्व विवरणी की तारीख बताएं

कथन करें कि निवासी हैं या अनिवासी | स्थायी लेखा संख्यांक

भाग 1—प्रभार्य ब्याज का विवरण

1. भारत में दिए गए उधारों और अग्रिमों पर प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाला ब्याज जो निम्नलिखित से भिन्न है— | रु.

(क) अन्य प्रत्यय संस्थाओं को दिए गए उधारों और अग्रिमों पर ब्याज;

[(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट ब्याज,

(ग) राज हुण्डियों पर बट्टा,

(घ) आय-कर अधिनियम की धारा 43घ में निर्दिष्ट डूबन्त और शंकास्पद प्रवर्ग के ऋणों के संबंध में ब्याज

2. भारत में उपयोग के लिए मंजूर किए गए प्रत्यय के अनुपयोजित भाग पर प्रतिबद्धता प्रभार।

3 भारत में लिखे गए वचनपत्र और विनिमय पत्र पर बट्टा (राज हुण्डियों पर बट्टे से भिन्न)।

4 आय-कर अधिनियम की धारा 43घ में निर्दिष्ट ऐसे डूबन्त और शंकास्पद प्रवर्ग के ऋणों के संबंध में ब्याज, जो, यथास्थिति, लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हैं या पूर्व वर्ष के दौरान वास्तव में प्राप्त किए गए हैं, जो भी पूर्ववर्ती हो।

5 मद 1 से 4 तक का जोड़।

6 घटाएं किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में ब्याज-कर के लिए प्रभारित ब्याज की रकम, जो पूर्व वर्ष के दौरान डूबन्त ऋण हो गई है।

7. प्रभार्य ब्याज (जो दस रुपए के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित किया गया हो) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288-क, जैसी वह ब्याज-कर अधिनियम, 1974 की धारा 21 द्वारा ब्याज-कर को लागू की गई है।)

भाग 2—अग्रिम रूप से संदत्त ब्याज-कर का विवरण

संदाय की तारीख	रकम रु.
कुल	

भाग 3—अन्य राशियां जो प्रभार्य ब्याज में सम्मिलित नहीं की गई हैं और जिनके कराधेय न होने का दावा किया गया है।

विशिष्टियां	रकम रु.	कारण कि वे कराधेय क्यों नहीं हैं

सत्यापन

मैं——————————————
(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)

जो ——————————— का पुत्र/पुत्री/पत्नी हूं जो
——————————— का ——————— हूं, सत्यनिष्ठा
(प्रत्यय संस्था का नाम) (पदाभिधान)

से घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से इस विवरणी में दी गई सूचना और इसके साथ लगाया गया विवरण सही और पूर्ण है और यह कि प्रभार्य ब्याज की रकम तथा उसमें दर्शित अन्य विशिष्टियां सही तौर पर कथित की गई हैं और 1 अप्रैल 1992 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।

मैं आगे सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि उक्त वर्ष के दौरान कोई अन्य प्रभार्य ब्याज प्रत्यय संस्था को प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं हुआ था, अथवा न उसने प्राप्त किया था।

मैं आगे घोषणा करता हूं कि ————————— के रूप में मेरी हैसियत से मैं यह विवरणी बनाने के लिए और प्रत्यय संस्था की ओर से इसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं।

हस्ताक्षर——————

तारीख——————

स्थान——————

टिप्पण —

1. इस विवरणी पर प्रत्यय संस्था के प्रधान अधिकारी द्वारा और जहां किसी अनिवासी प्रत्यय संस्था की दशा में किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 163 के अधीन उसका अभिकर्ता माना गया है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

2. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हस्ताक्षरकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि यह विवरणी और उसके साथ के विवरण सही और सभी प्रकार से पूर्ण हैं। (इस विवरणी अथवा उसके साथ के विवरणों में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति ब्याज कर अधिनियम, 1974 की धारा 24 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्धि पर कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

3. अनुपयुक्त शब्दों को काट दीजिए।

4 यदि इस विवरणी के आधार पर संदेय ब्याज-कर अग्रिम रूप से संदत्त ब्याज-कर की रकम से अधिक है तो ऐसा अधिक ब्याज-कर इस विवरणी को देने के तीस दिन के भीतर ही संदत्त किया जाना चाहिए [धारा 9(1)]

5. संपरीक्षित लेखाओं की एक प्रति परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति के साथ संलग्न करें।

"प्रत्यय संस्था" से अभिप्रेत है,—

(1) कोई बैंककारी कंपनी जिसे बैंककारी विनियमन, अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 50 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था है) अथवा कोई सहकारी सोसाइटी जो बैंककारी का कारोबार करने में लगी हुई है और जो किसानों या ग्राम कारीगरों को उधार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली सोसाइटी नहीं है;

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में परिभाषित कोई लोक वित्तीय संस्था;

(iii) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 53) की धारा 3 या धारा 3क के अधीन स्थापित कोई राज्य वित्तीय निगम या धारा 46 के अधीन अधिसूचित कोई संस्था; और

(iv) कोई अन्य वित्तीय कंपनी,

"वित्तीय कंपनी" से अभिप्रेत है खंड (5क) के उपखंड (i), उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट कंपनी से भिन्न कोई कंपनी, जो—

(i) अवक्रय वित्त कंपनी है, अर्थात् ऐसी कंपनी है जो अपने मुख्य कारबार के रूप में अवक्रय संव्यवहार या ऐसे संव्यवहारों का वित्तपोषण करती है, या

(ii) विनिधान कंपनी है, अर्थात् ऐसी कंपनी है जो अपने मुख्य कारबार के रूप में शेयर, स्टाक, बंधपत्र, डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक, अथवा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्गमित प्रतिभूति अथवा इसी प्रकार की अन्य विपण्य प्रतिभूति का अर्जन करती है, या

(iii) आवास वित्त कंपनी है, अर्थात् ऐसी कंपनी है जो अपने मुख्य कारबार के रूप में मकानों के अर्जन या सन्निर्माण का, जिसके अंतर्गत उसके संबंध में भूमि का अर्जन या विकास है, वित्तपोषण करती है;

(iv) उधारदाता कंपनी है, अर्थात् ऐसी कंपनी है [जो उपखंड (i) से उपखंड (ii) में निर्दिष्ट कंपनी नहीं है] जो अपने मुख्य कारबार के रूप में उधार या अग्रिम देकर या अन्यथा वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करती है;

(v) पारस्परिक फायदा वित्त कंपनी है, अर्थात् ऐसी कंपनी है जो अपने मुख्य कारबार के रूप में अपने सदस्यों से निक्षेपों का प्रतिग्रहण करने का कारबार करती है और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620क के अधीन निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी घोषित की गई है;

(vi) प्रकीर्ण वित्त कंपनी है, अर्थात् ऐसी कंपनी है, जो अनन्यतः या लगभग अनन्यतः, पूर्ववर्ती उपखंडों में निर्दिष्ट दो या अधिक वर्गों का कारबार करती है;"

(ख) प्ररूप संख्या 2 का लोप किया जाएगा,

(ग) प्ररूप संख्या 3 में, "आय-कर अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, "निर्धारण अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) प्ररूप संख्या 4 में,—

(i) "आय-कर अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, "निर्धारण अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पणों में, पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. अधिनियम की धारा 16(1) के अधीन निर्धारिती द्वारा अपील की दशा में अपील ज्ञापन के साथ 200 रुपए की फीस अवश्य होनी चाहिए।

इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए निर्धारण कार्यवाहियां मद 11 या मद 12 में निर्दिष्ट तारीख को, जो भी पूर्ववर्ती हो, प्रारम्भ की गई समझी जाएगी। फीस, निर्धारण अधिकारी से चालान प्राप्त करने के पश्चात् प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में या भारतीय रिजर्व बैंक की किसी शाखा में जमा की जानी चाहिए और संदाय के प्रमाण में चालान अपील ज्ञापन के साथ अपील अधिकरण को भेजा जाना चाहिए। अपील अधिकरण चैक, ड्राफ्ट, हुण्डी या कोई अन्य परक्राम्य लिखत स्वीकार नहीं करेगा।"

(ङ) प्ररूप संख्या 6 में,—

(i) "पैंतीस दिन" शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, "तीस दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "सहायक आयुक्त (निरीक्षण)" शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, "उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) "आय-कर अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं "निर्धारण अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) पैरा 3 में "[illegible]" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक मास या प्रत्येक मास के भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(v) पैरा 5 में "धारा 222 से 227, 229 तक" शब्द और अंकों के स्थान पर "धारा 222 से 229 तक" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(च) प्ररूप संख्या 7 में,—

(i) "अनुसूचित बैंक" शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं "प्रत्यय संस्था" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण में, पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्रत्यय संस्था" से अभिप्रेत है,—

(i) कोई बैंककारी कंपनी जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था है) अथवा कोई सहकारी सोसाइटी जो बैंककारी का कारोबार करने में लगी हुई है और जो किसानों या ग्राम कारीगरों को उधार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली सहकारी सोसाइटी नहीं है;

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में परिभाषित कोई लोक वित्तीय संस्था;

(iii) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 3 या धारा 3क के अधीन स्थापित कोई राज्य वित्तीय निगम या धारा 46 के अधीन अधिसूचित कोई संस्था; और

(iv) कोई अन्य वित्तीय कंपनी;

"वित्तीय कंपनी" से अभिप्रेत है खंड (5क) के उपखंड (2), उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट कंपनी से भिन्न कोई कम्पनी, जो—

(1) अवक्रय वित्त कंपनी है, अर्थात् ऐसी कंपनी है जो अपने मुख्य कारबार के रूप में अवक्रय संव्यवहार या ऐसे संव्यवहारों का वित्तपोषण करती है, या

(ii) विनिधान कंपनी है, अर्थात् ऐसी कंपनी है जो अपने मुख्य कारबार के रूप में शेयर, स्टाक बंधपत्र डिबेन्चर, डिबेन्चर स्टाक, अथवा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्गमित प्रतिभूति अथवा इसी प्रकार की अन्य विपण्य प्रतिभूति का अर्जन करती है; या

(iii) आवास वित्त कंपनी है, अर्थात ऐसी कंपनी जो अपने मुख्य कारबार के रूप में मकानों के अर्जन या सन्निर्माण का, जिसके अंतर्गत उसके संबंध में भूमि का अर्जन या विकास है, वित्तपोषण करती है;

(iv) उधारदाता कंपनी है, अर्थात् ऐसी कंपनी है [जो उपखंड (i) से उपखंड (ii) में निर्दिष्ट कंपनी नहीं है] जो अपने मुख्य कारबार के रूप में उधार या अग्रिम देकर या अन्यथा वित्त उपलब्ध करने का कारबार करती है,

(v) पारस्परिक फायदा वित्त कंपनी है, अर्थात् ऐसी कंपनी है जो अपने मुख्य कारबार के रूप में अपने सदस्यों से निक्षेपों का प्रतिग्रहण करने का कारबार करती है और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620क के अधीन निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी घोषित की गई है,

(vi) प्रकीर्ण वित्त कंपनी है, अर्थात् ऐसी कंपनी है, जो अनन्यत: या लगभग अनन्यत: पूर्ववर्ती उपखंडों में निर्दिष्ट दो या अधिक वर्गों का कारबार करती है।"

[सं 9079/फा सं 153/81/91-टी पी एन]

डी पी सेमवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi the 31st August, 1992

INTEREST-TAX

S O 652(E) —In exercise of the powers conferred by section 27 of the Interest-tax Act, 1974 (45 of 1974), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Interest-tax Rules 1974, namely —

1. (1) These rules may be called the Interest-tax (Amendment) Rules, 1992

(2) They shall come into force with effect from the date of their notification in the Official Gazette

2. In the Interest-tax Rules, 1974—

(i) rule 4 shall be omitted;

(ii) In rule 5, in sub-rule (2), for the words "the scheduled bank, or where in the case of a non-resident scheduled bank," the words "the credit institution, or where in the case of a non-resident credit institution" shall be substituted;

(iii) in the Appendix,—

(a) for the existing Form No. 1 the following shall be substituted, namely :—

FORM NO. 1

INTEREST-TAX

No 1	Return of Chargeable Interest	For use in Income-tax office
Interest-Tax Act, 1974		
Rule 3		
Name in block letters		Assessment year
Address	Telephone	Previous year ended on
Whether this is a revised return, if so, state date of previous return		Permanent Account Number
State whether resident or non-resident		

PART-I : STATEMENT OF CHARGEABLE INTEREST

		Rs.
1	Interest on loans and advances made in India accruing or arising, other than— (a) interest on loans and advances made to other credit institutions; (b) interest referred to in sub-section (1B) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); (c) discount on treasury bills; (d) interest in relation to categories of bad or doubtful debts referred to in section 43D of the Income-tax Act	
2	Commitment charges on unutilised portion of any credit sanctions for being availed of in India.	
3	Discount on promissory notes and bills of exchange drawn or made in India (other than discount on treasury Bills).	
4	Interest in relation to categories of bad or doubtful debts referred to in section 43D of the Income-tax Act, which are credited to the profit and loss account or as the case may be are actually received during the previous year, whichever is earlier.	
5	Total of items 1 to 4.	
6.	Less : Amount of interest charged to interest-tax in any earlier previous year and which has become a bad debt during the previous year.	
7.	Chargeable interest (as rounded off to the nearest multiple of ten rupees—Section 288-A of the Income-tax Act, 1961, as applied to interest-tax by section 21 of the Interest-tax Act, 1974).	

PART-II : STATEMENT OF INTEREST-TAX PAID IN ADVANCE

Date of payment	Amount Rs.
	TOTAL

PART-III : OTHER SUMS NOT INCLUDED IN CHARGEABLE INTEREST AND CLAIMED TO BE NOT TAXABLE

Particulars	Amount Rs.	Reason why not taxable

Verification

I ——————————— son|daughter|wife of
(name in full and block letters)
————being the ———— -of ———
(designation) ————
(name of the credit institution)
solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this return and the statement accompanying it are correct and complete and that the amount of chargeable interest and other particulars shown therein are truly stated and relate to the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1992. I further solemnly declare that during the said previous year no other chargeable interest accrued or arose to or was received by the credit institution.

I further declare that in my capacity as ———— I am competent to make this return and verify it on behalf of the credit institution.

Date ———— Signature————

Place ————

NOTES :—

1. This return should be signed by the principal officer of the credit institution or where in the case of a non-resident credit institution any person has been treated as its agent under section 163 of the Income-tax Act, 1961 by such person.

2. Before signing the verification the signatory should satisfy himself that this Return and the accompanying statements are correct and complete in all respects (Any person making a false statement in this return or the accompanying statements shall be liable to prosecution under section 24 of the Interest-tax Act, 1974, and on conviction be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extent to seven years and with fine.)

3. Delete inappropriate words.

4. If the interest-tax payable on the basis of this return exceeds the amount of interest tax paid in advance, such excess interest-tax must be paid within 30 days of furnishing this return [section 9(1)].

5. Attach a copy of the audited accounts along with a copy of the auditors report.

6. "Credit institution" means,—

(i) a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 50 of that Act) or a cooperative society engaged in carrying on the business of banking not being a co-operative society, providing credit facilities to farmers or village artisans;

(ii) a public financial institution as defined in section 41 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(iii) a State financial corporation established under section 3 or section 3A or an institution notified under section 46 of the State Financial Corporation Act, 1951 (63 of 1961), and

(iv) any other financial company,

"Financial company" means a company, other than a company referred to in sub-clause (i), (ii) or (iii) of clause 5A, being—

(i) a hire-purchase finance company, that is to say, a company which carries on, as its principal business, hire purchase transactions or the financing of such transactions;

(ii) an investment company, that is to say, a company which carries on, as its principal business, the acquisition of shares, stock, bonds, debentures, debenture stock, or securities issued by the Government or a local authority, or other marketable securities of a like nature;

(iii) a housing finance company, that is to sa a company which carries on, as its princip business the business of financing of a quisition or construction of houses, including acquisition or development of lands in connection therewith;

(iv) a loan company, that is to say, a company not being a company referred to in sub-clause (i) to (iii) which carries on, as its principal business, the business of providing finance, whether by making loans or advances or otherwise;

(v) a mutual benefit finance company, that is to say, a company which carries on, as its principal business, the business of acceptance of deposits from its members and which is declared by the Central Government under section 620A of the Companies Ac 1956 (1 of 1956), to be a Nidhi or Mutu Benefit Society; or

(vi) a miscellaneous finance company, that say a company which carries on exclus or almost exclusively, two or more c of business referred to in the pre sub-clauses.'.

(b) Form No. 2 shall be omitted.

(c) In Form No. 3, for the words "Inco Officer" wherever they occur the words "Asses Officer" shall be substituted.

(d) In form No. 4,—

(i) for the words "Income-tax Officer" wherever they occur the words "Assessing Officer" shall be substituted;

(ii) In the Notes, for paragraph 2 the following paragraph shall be substituted, namely :—

"2. Memorandum of appeal in the case of appeal by assessee under section 16(1)

of the Act must be accompanied by a fee of Rs. 200|-

For the purpose of this Note, the assessment proceedings shall be deemed to have been initiated on the date referred to in item 11 or item 12, whichever is earlier. The fee should be credited in a branch of the authorised bank or in any branch of the State Bank of India or a branch of the Reserve Bank of India after obtaining the challan from the Assessing Officer and the tripliacte challan sent to the Appellate Tribunal with the memorandum of appeal. The Appellate Tribunal will not accept cheques, drafts, hundies or any other negotiable instruments.".

(e) In Form No. 6,—

(i) for the word and figure "35 days" wherever they occur the words "30 days" shall be substituted;

(ii) for the words "Inspecting Assistant Commissioner" wherever they occur the words Deputy Commissioner" shall be substituted;

(iii) for the words "Income-tax Officer" wherever they occur the words "Assessing Officer" shall be substituted;

(iv) In paragraph 3 for the words "at the rate of 12 per cent per annum" the words "at one and one half per cent for every month or part of a month" shall be substituted;

(v) In paragraph 5 for the words and figures "sections 222 to 227, 229" the words and figures "sections 222 to 229" shall be substituted.

(f) In form No. 7,—

(i) for the words "scheduled bank" wherever they occur the words "credit institution" shall be substituted;

(ii) In the Notes, for paragraph 3 the following paragraph shall be substituted, namely :—

"Credit institution" means,—

i) a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 50 of that Act) or a cooperative society engaged in carrying on the business of banking not being a cooperative society, providing credit facilities to farmers or village artisans;

(ii) a public financial institution as defined in section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(iii) a State financial corporation established under section 3 or section 3A or an insitution notifie under section 46 of the State Financial Corporation Act, 1951 (63 of 1951); and

(iv) any other financial company;

"Financial company" means a company, other than a company referred to in sub-clause (i), (ii) or (iii) of clause 5A, being—

(a) a hire purchase finance company that is to say a company which carries on, as its principal business, hire purchase transactions or he financing of such transacions;

(ii) an investment company, that is to say, a company which carries on, as its principal business, the acquisition of shares, stock, bonds, debentures, debenture stock or securities issued by the Government or a local authority, or other marketable securities of a like nature;

(iii) a housing finance company, that is to say, a company which carries on, as its principal business, the business of financing of acquisition or construction of houses, including acquisition or development of land in connection therewih;

(iv) a loan company, that is to say, a company not being a company referred to in sub-clause (i) to (iii) which carries on, as its principal business, the business of providing finance. whether by making loans or advances or otherwise;

(v) a mutual benefit finance company, that is to say, a company which carries on, as its principal business, the business of acceptance of deposits from its members and which is declared by the Central Government under section 620A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), to be a Nidhi or Mutual Benefit Society; or

(vi) a miscellaneous finance company, that is to say a company which carries on exclusively, or almost exclusively, two or more classes of business referred to in the preceding sub-clauses.'.

[No. 9079|F No. 153|81|91-TPL]
D. P. SEMWAL, Under Secy.

Foot Note : Interest-tax Rules, 1974, which was subsequently amended from time to time, were notified vide S.O. 740(E), dated 30-12-1974.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992